न्यायालय उप तहसीलदार तहसील रिमाण्ड जिला झुन्झुनूं

प्र0सं0	किस्म मु0	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
44/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

अभियोग सरकार बनाम कलवारी पुत्र सांवल जाति गुर्जर नि0 कुवाडिया तहसील पुरबला जिला झुन्झुनूं

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुयी। अधिकारी अनुपस्थित। आमला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी ने सम्वत 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम कुवाडिया की सरकारी भूमि गै0मु0 खाता संख्या 234 रकबा 0.50 किस्म गै0मु0 खाता में से 0.20 है0 भूमि पर अधिकारी बनाम कलवारी पुत्र सावल जाति गुर्जर नि0 कुवाडिया तहसील पुरबला ने अवैध रूप से मेड व बाजरा बपत कर अनाधिकृत अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला कर्ज रजिस्टर किया जाकर अधिकारी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस पाबिद पर अधिकारी उपस्थित हुआ। पाठपत्र पेश किया गया जो पत्रावली शामील किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का गहनता से मनन किया गया। अधिकारी द्वारा किया गया अधिकारी को कब्जा निःसन्देह नहीं है। जो ही नियमों के अनुरूप है। अतः अतः अधिकारी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अधिकारी घोषित किया जाता है। व गैर कब्जा रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अधिकारी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये मेड व बाजरा की फसल कर के दण्ड स्वरूप अतिक्रमण युक्त भूमि के रकबा 0.20 की 50 गुणा नुमाना राशि 10/- रू बतौर शास्ति वसूल किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0नि0/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली/ कर राशि राज कोष में जमा करवाने हेतु लिखा जावे। भू0 अ0नि0 को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तामील सामिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम होकर कर्ज फैसला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नायब तहसीलदार

[illegible]

[illegible]

Scanned with CamScanner